

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
 // आदेश //

क्रमांक A/4378 /

जबलपुर, दिनांक 01/06/2024

निम्नलिखित संविदा नियुक्त लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की संविदा नियुक्ति की अवधि में रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/443 जबलपुर, दिनांक 15.02.2023 एवं आदेश क्रमांक बी/8879 जबलपुर, दिनांक 04.12.2023, के तारतम्य में पूर्व आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन अगामी असाइनमेंट सत्र 2024-25 तक की अवधि के लिये निश्चित मानदेय रूपये 30,000/- (रु. तीस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर पर वृद्धि करते हुये निम्न तालिका में उनके नाम के समक्ष दर्शायें स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान
1	कु. नैन्सी गोयल आत्मजा श्री दिलीप गोयल	जबलपुर
2	कु. अर्पिता जायसवाल आत्मजा श्री राजेश जायसवाल	जबलपुर

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
 महोदय के आदेशानुसार

०१०६२४
 (मनोज कुमार श्रीवास्तव)
 ५ रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 01/06/2024

पृष्ठांकन क्रमांक B/4379 /

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./आई.एल./परीक्षा एवं लेबर जूडी./सतर्कता/ई/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/आई.एल.आर. एवं परीक्षा/सतर्कता महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक), स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 9. सहायक, स्था./अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 10. कु. नैन्सी गोयल आत्मजा श्री दिलीप गोयल, लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 11. कु. अर्पिता जायसवाल आत्मजा श्री राजेश जायसवाल, लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

०१०६२४
 (दीपक कंसल) ०१.०६.२४
 ५ रजिस्ट्रार(प्रशासन)